प्रेस विज्ञप्ति

राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचना संख्या 3/2022/134/36–3–2022–02(सा0)/2014, दिनांक 31.01.2022, के कम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत मतदान दिवस 10.02.2022 को गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में कार्यरत मतदाताओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों/कर्मचारियों को बन्दी दिवस के रुप में अनुमन्य कराया जाना है।

अतः गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता जो जनपद के निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत है, को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान दिवस दिनांक 10.02.2020, दिन वृहस्पतिवार को बन्दी दिवस के रुप में अनुमन्य कराया जाना है। कृपया समस्त दुकानों/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजक भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत होते हुए तदनुसार अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को बन्दी दिवस के रुप में अवकाश उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

(सुहास एल0वाई)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय उप श्रम आयुक्त, जी–25ए, सेक्टर–03, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1127 – 31 /गौ0प्रवर्तन–22 दिनांक 4/2/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. उप श्रम आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।
5. जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने स्तर से यह सूचना जनपद के सभी प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ/व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

(सुहास एल0वाई)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।